



षोडश बिहार विधान सभा

दशम सत्र
तारांकित प्रश्न

वर्ग-2

मंगलवार, तिथि 02 श्रावण, 1940 (श०)
24 जुलाई, 2018 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 100

(1) शिक्षा विभाग	..	59
(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग	..	06
(3) कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण विभाग	..	07
(4) समाज कल्याण विभाग	..	06
(5) पर्यावरण एवं वन विभाग	..	06
(6) खान एवं भूतत्व विभाग	..	03
(7) विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग	..	01
(8) मद्य निषेध, उत्पाद एवं निर्बंधन विभाग	..	01
(9) परिवहन विभाग	..	10
(10) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	..	01
कुल योग —		100

जौंच कराना

*66. श्री रलेश सादा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखण्ड के सरहरी बल्लभ इंस्टीच्यूशन, सोनवर्षा राज के प्रांगण में वर्ष 2005-06 में बी0 आर0 सी0 योजना के तहत भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, परन्तु निर्माण कार्य अभीतक अधूरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संवेदक द्वारा भवन निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गयी, जिसके कारण उक्त अर्धनिर्मित भवन वर्ष 2007 से जर्जर स्थिति में है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त इंस्टीच्यूशन के अधूरे भवन का निर्माण करने एवं संवेदक द्वारा कराये गये कर््यों की उच्चस्तरीय जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*67. श्री यदुवंश कुमार यादव--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के पिपरा प्रखण्ड स्थित +2 उच्च विद्यालय, रसौली एवं भगीरथ उच्च विद्यालय, निर्मली में बड़ा खेल का मैदान है, जो स्टेडियम निर्माण की सारी शतों को पूरा करता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त दोनों मैदानों में कबतक स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस पड़ाव का निर्माण

'क'- *68. श्री संजय कुमार सिंह--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज प्रखण्ड के विक्रमगंज नगर परिषद् में बस पड़ाव का निर्माण नहीं होने से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार विक्रमगंज नगर परिषद् में बस पड़ाव का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रजिस्ट्रेशन नम्बर उपलब्ध कराना

*69. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि डीलर प्वाइंट पर वाहनों का रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं मिल रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नम्बर छः माह विलम्ब से मिल रहे हैं, जबकि 48 घंटे के अन्दर ही रजिस्ट्रेशन नं0 उपलब्ध कराने का प्रावधान है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार निर्धारित समय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन नम्बर उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रोक लगाना

*70. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत डेहरी प्रखण्ड में बड़े पैमाने पर राज्य के बाहर उत्तर प्रदेश के लिये अवैध बालू का व्यवसाय हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त अवैध बालू के कारोबार को कबतक रोकने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'- परिवहन विभाग के ज्ञापांक-4558, दिनांक 18 जुलाई, 2018 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानान्तरित ।

औचित्य बताना

*71. श्री भाई वीरेन्द्र--स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 जून, 2018 को प्रकाशित शीर्षक "उधार की छत के नीचे पढ़ाई लैब-लाइब्रेरी भी नहीं" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के सैकड़ों माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवन के अभाव में एक दूसरे विद्यालयों में मात्र दो कमरों में स्थानांतरित कर छात्र/छात्राओं को विगत 10-15 वर्षों से अध्ययन-अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, जहाँ मूलभूत सुविधाएँ यथा लैब लाइब्रेरी, शौचालय आदि का घोर अभाव है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है ?

बस चलाना

*72. श्री श्यामबाबु प्रसाद यादव--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मधुवन प्रखण्ड, ग्राम-राजेपुर एवं तेतरिया प्रखण्ड के आम जनता को आवागमन हेतु सरकारी बस सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक मोतिहारी से मुजफ्फरपुर भाया मधुवन, तेतरिया, राजेपुर के बीच दो सरकारी बस चलाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?

आरक्षण नियमों का पालन करना

*73. श्री अख्तारूल इस्लाम शाहीन--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में स्थित राजकीय अम्बेदकर आवासीय उच्च विद्यालयों में 272 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-16010116 प्रकाशित किया गया था, जिसमें विभाग द्वारा रिक्तियों के संसूचन में आदर्श रोस्टर प्रणाली एवं आरक्षण नियमों की अनदेखी करते हुये 272 में से मात्र 11 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित किया गया था, जबकि नियमानुसार अनुसूचित जाति के लिये 44 पद आरक्षित होना चाहिये था, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर उक्त आवासीय विद्यालयों में आरक्षित वर्गों के लिये अनुमान्य शेष पदों पर विशेष भर्ती प्रक्रिया अपनाकर आरक्षण नियमों का पालन कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस पड़ाव संचालित करना

*74. श्री गिरिधारी यादव--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत किरतपुर प्रखण्ड के किरतपुर गाँव के चौक पर कोसी बाँध के निकट अवैध रूप से चार वर्षों से बस पड़ाव संचालित कर निजी रूप से राशि वसूले जाने से सरकारी राजस्व की क्षति हो रही है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त अवैध पड़ाव के संबंध में अंचलाधिकारी, किरतपुर के पत्रांक-143, दिनांक 11 अप्रैल, 2018 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बिरोल, दरभंगा को प्रतिवेदन भेजा गया, परन्तु आजतक कार्रवाई शून्य है ;

(3) क्या यह बात सही है कि आयुक्त-सह-अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के निदेशानुसार क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के पत्रांक 54, दिनांक 29 फरवरी, 2018 द्वारा जिलाधिकारी दरभंगा को प्रश्न खण्ड (1) के संबंध में जाँचोपरांत कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु कार्रवाई शून्य है ;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त अवैध बस पड़ाव को बंद कर सरकारी स्तर से बस पड़ाव संचालित करने का विचार रखती है ?

पदाधिकारी का पदस्थापन

*75. श्री राजेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत तुरकौलिया एवं हरसिद्धि प्रखण्ड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों का नियमित पदस्थापन नहीं होने से सुचारु रूप से कार्य निष्पादन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक तुरकौलिया एवं हरसिद्धि प्रखण्ड में नियमित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पाठ्यक्रम में शामिल करना

*76. डॉ० शकील अहमद खॉं—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना एवं पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ का सृजन वित्तीय वर्ष 2017-2018 में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों विश्वविद्यालयों में उर्दू विषय को पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दोनों नवसृजित विश्वविद्यालय में उर्दू विषय को पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में कबतक शामिल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना

*77. श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जमुई जिलान्तर्गत झाझा प्रखण्ड के सिमुलतला में अवस्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं को मूलभूत सुविधा एवं समुचित संसाधन का अभाव है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में मूलभूत सुविधा एवं समुचित संसाधन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की पदस्थापन

*78. श्री यदुवंश कुमार यादव—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के किसनपुर प्रखण्डान्तर्गत +2 उच्च विद्यालय किसनपुर में गणित, वनस्पति विज्ञान, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अंग्रेजी एवं भूगोल विषयों के शिक्षक का पद रिक्त रहने के कारण छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन पर प्रतिकूल असर पर रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक रिक्त पदों पर शिक्षकों की पदस्थापना करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रस्वीकृति प्रदान करना

*79. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 में स्थापित बैद्यनाथ चौधरी स्मारक कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, पूर्णियाँ का अस्थायी प्रस्वीकृति निरस्त कर छात्राओं के नामांकन पर बी० एस० ई० बी०, पटना के द्वारा रोक लगा दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि 12 मार्च, 2014 को बी० एस० ई० बी० द्वारा गठित 5 सदस्यीय निरीक्षण परिषद् एस० आर० टी० निरीक्षणोपरान्त 4 जून, 2014 को अपना प्रतिवेदन बोर्ड कार्यालय में जमा किया, जिसके बावजूद बोर्ड द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त उच्च माध्यमिक विद्यालय को अस्थायी प्रस्वीकृति प्रदान कर छात्राओं का नामांकन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्कृष्टित करना

*80. श्री सचिन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने वर्ष 2012 में यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक पंचायत में एक उच्च मा० विद्यालय खोला जायेगा ;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखण्ड के मणीछपरा पंचायत तथा अगल-बगल में बौसघाट, उत्तरी गवन्द्रा, भूवन छपरा पंचायतों में एक भी उच्च मा० विद्यालय नहीं होने से छात्रों को पठन-पाठन में भारी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मणीछपरा पंचायत के माधोपुर बुनियादी विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्कृष्टित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*81. श्री रवीन्द्र सिंह--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि एन० एच० 139 पर अरबल से पटना तथा एस० एच० 68 पर अरबल से गया बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का परिचालन नहीं होने से आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित पथों पर बस का परिचालन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

*82. श्री जयवर्धन यादव--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत पालीगंज बस डिपो से पटना के लिये वर्तमान में मात्र एक सरकारी बस का परिचालन हो रहा है, जिसके कारण आमलोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मार्ग पर अधिक संख्या में सरकारी बसों का परिचालन पुनः प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षक की नियुक्ति

*83. श्री अब्दुल गफ़ार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्लस टू उच्च विद्यालयों हेतु सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में 72 अल्पसंख्यक प्लस टू उच्च विद्यालय कार्यरत है, जिनमें से किसी भी अल्पसंख्यक उच्च विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के 72 अल्पसंख्यक प्लस टू विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कब तक करना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य योजना बताना

* 84. श्री श्याम रजक—स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 21 जून, 2018 को प्रकाशित शीर्षक "मौंगे 17 हजार करोड़, मिले 7.5 हजार करोड़" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समग्र शिक्षा अभियान के लिये पिछले वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा साढ़े बारह हजार करोड़ रुपये स्वीकृत राशि में से मात्र तीन हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार को प्राप्त हुये हैं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा मात्र 7 हजार करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इससे शिक्षकों के वेतन तथा स्कूलों की सुविधाएँ प्रभावित हुयी हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो राशि की कमी के कारण समग्र शिक्षा अभियान को प्रभावित नहीं होने देने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है ?

मातृत्व अवकाश देना

* 85. श्री (मौ०) नवाज आलम—क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 6374, दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के अनुसार मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के आँगनवाड़ी केन्द्रों में सौविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका को श्रम संसाधन विभाग के नियमानुसार मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह नहीं दिया गया जाता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार आँगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रदूषण नियंत्रित करना

* 86. श्री राजेश कुमार—क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के औरंगाबाद सदर प्रखण्ड अंतर्गत श्री सीमेन्ट प्लान्ट से फैल रही प्रदूषण एवं जहरीली धूल के कारण वहाँ के निवासियों में फेफड़े एवं हृदय संबंधी बिमारियाँ बढ़ रही हैं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्लान्ट से उत्सर्जित प्रदूषण को नियंत्रित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

* 87. श्री सीताराम यादव—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखण्ड के छपराढ़ी, कुवाड़ उत्क्रमित उच्च विद्यालय में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी के शिक्षक नियुक्त नहीं किये जाने के कारण छात्रों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त उत्क्रमित उच्च विद्यालय में विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मैदान की घेराबंदी

* 88. डॉ० (मो०) जावेद--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखण्ड के सादोगोरा पंचायत में स्थित बक्स म०वि० के पास एवं किशनगंज प्रखण्ड के सिंधिया, कुलामनी पंचायत में स्थित सिंधिया हाट के पास खेल मैदान उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त खेल मैदानों का घेराबंदी करके कबतक स्टेडियम निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय चालू कराना

* 89. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत बीरपुर प्रखण्ड के भवानन्दपुर पंचायत अवस्थित प्राथमिक विद्यालय, भवानन्दपुर का सम्मिलन मध्य विद्यालय, पानापुर में कर दिया गया है, जिसके कारण इस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे दलित बच्चों को अपनी पढ़ाई सुचारू रखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इस सम्मिलन पर रोक लगाकर प्राथमिक विद्यालय, भवानन्दपुर को पुनः कबतक चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 90. श्री चन्द्रशेखर--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जहानाबाद जिला में स्थित गाँधी स्मारक इंटर विद्यालय, जहानाबाद की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुनीता कुमारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त रहने एवं स्वैच्छाचारिता के विरुद्ध जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 1642, दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा प्रपत्र "क" गठित किया गया है, यदि हाँ, तो उक्त प्रधानाध्यापिका पर प्रपत्र "क" गठित होने के बाद अबतक कोई कार्रवाई नहीं होने का क्या औचित्य है ?

भवन का निर्माण

* 91. डॉ० सी०एन० गुप्ता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला में केन्द्रीय विद्यालय, छपरा का भवन का निर्माण नहीं होने के कारण अभी जिला स्कूल, छपरा के छात्रावास में उक्त केन्द्रीय विद्यालय का पठन-पाठन चल रहा है, जिसके कारण केन्द्रीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं का पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार केन्द्रीय विद्यालय, छपरा का अपना भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

* 92. श्री शमीम अहमद--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया प्रखण्ड अन्तर्गत चैलाहा पंचायत के ग्राम-चैलाहा महादलित टोला के 1 कि०मी० के दायरे में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये प्राथमिक विद्यालय नहीं रहने के कारण महादलित बच्चों को पठन-पाठन में कठिनाई होती है, जबकि उक्त टोला में सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त सरकारी भूमि पर महादलित बच्चों के पठन-पाठन हेतु कबतक प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

महाविद्यालय खोलना

*93. श्री उमेश सिंह कुशवाहा--क्या मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी जिला में राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि महनार प्रखंड के गोरिगामा पंचायत में 20.10 एकड़ सरकारी भूमि जिसका खाता सं० 248, खेसरा सं०-1339, थाना नं० 609 उपलब्ध है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सरकारी भूखण्ड पर राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पर्यटक स्थल खोलना

*94. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत उदयपुर जंगल में पर्यटकों के विश्राम हेतु अतिथिगृह, भोजनालय, नौका बिहार, जंगल सफारी की व्यवस्था सन् 2016 में कर दिया गया है उक्त पर्यटक स्थल को जुलाई, 2017 में चालू करने की योजना थी जो जून 2018 तक चालू नहीं हो सका है, यदि हाँ, तो सरकार उदयपुर जंगल को पर्यटकों के लिये कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आश्रितों को नौकरी दिलाना

*95. डॉ० सी०एन० गुप्ता--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि छपरा जिला में स्थित राजेन्द्र महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी श्री शिवविनय राय सहायक की हत्या दिनांक 14 जून, 2018 को कॉलेज कैम्पस में कर दिया गया था जिसका थाना कांड संख्या 247/2018 है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कर्मचारी के आश्रितों को नौकरी आजतक नहीं दी गयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी के आश्रितों को सरकार नौकरी कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

+2 की पढ़ाई शुरू कराना

*96. श्री राज किशोर सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के पटेढ़ी बेलसर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालय, साईन को वर्ष 2008-09 में +2 का दर्जा दिये जाने के बावजूद आजतक पढ़ाई शुरू नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय में +2 की पढ़ाई कबतक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पक्की रास्ते का निर्माण

*97. डॉ० अशोक कुमार--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत यू० आर० कॉलेज, रोसड़ा में अनुसूचित जाति छात्रावास स्थित है, जहाँ छात्रावास से कॉलेज भवन के बीच में एक नाला है, जिसमें बरसात के समय जल-जमाव से छात्रों का कॉलेज भवन एवं कॉलेज प्रांगण से बाहर आने-जाने का कार्य अवरुद्ध हो जाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त छात्रावास से कॉलेज तथा बाहर जाने हेतु पक्की रास्ते का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई प्रारंभ करना

*98. श्री अनिल सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े नवादा जिला में अवस्थित चारों महाविद्यालयों टी० एस० कॉलेज, हिंसुआ एस० एन० साहू कॉलेज, वारिसलीगंज, राजेन्द्र मेमोरियल महिला कॉलेज, नवादा तथा के० एल० एस० कॉलेज, नवादा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण स्नातक के बाद 98 प्रतिशत ड्रॉप-आउट हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नवादा जिला में अवस्थित उपर्युक्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पठन-पाठन उपलब्ध करना

*99. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड में बाकरपुर +2 विद्यालय में 2400 बच्चे नामांकित हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में वर्ग कक्षा की कमी के कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में असुविधा होती है, जिसके कारण छात्र विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार छात्र के अनुपात में वर्ग कक्षा की व्यवस्था करकर छात्रों को पठन-पाठन की सुविधा कबतक उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मैदान का निर्माण

*100. श्री नरेन्द्र नारायण यादव--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशुनगंज प्रखंड के अधीन ग्राम पंचायत बुधमा के ग्राम बैजनाथपुर में युवाओं को खेल, व्यायाम हेतु एक खेल मैदान नहीं, यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँव में एक खेल मैदान का निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*101. श्री महबूब आलम--क्या मंत्री, खनन एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत बाबूबरही प्रखंड के औरही ग्राम स्थित जय दुर्गे ईट भट्टा एवं उक्त प्रखंड के अन्य भट्टा संचालक द्वारा अवैध रूप से लाखों टन मिट्टी एवं बालू का भंडारण अपने परिसर में किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भट्टा संचालकों द्वारा बिना अनुमति के मानक से अधिक मिट्टी की कटाई खुदाई की गयी है तथा बिना ई चलान के ही ईंटों की बिक्री की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक इसकी जाँच करकर उक्त भट्टा संचालकों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*102. श्री जिवेश कुमार--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखंड के अहियारी उत्तरी पंचायत के खतवे टोल एवं सिंहवाड़ा प्रखंड के मनिकौली पंचायत स्थित मैनटोल में महादलित की आबादी अत्यधिक है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त दोनों स्थानों पर सरकारी जमीन उपलब्ध है, जिसका खाता संख्या 0, खेसरा संख्या 1800 पुराना, 861 नया तथा खाता संख्या 2355 तथा खेसरा संख्या 9089 है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त सरकारी जमीन पर कबतक सामुदायिक भवन-सह-वर्कशेड निर्माण करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास चालू करना

*103. श्रीमती आशा देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के दानापुर विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय, खगौल गाँधी उच्च विद्यालय, खगौल एवं बलदेव उच्च विद्यालय, दानापुर में बालिकाओं के लिये छात्रावास भवन का निर्माण हो चुका है;
- (2) क्या यह बात सही है कि छात्राओं के लिये छात्रावास चालू नहीं होने के कारण छात्राओं की नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रही है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नवनिर्मित छात्रावासों को कबतक चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना

*104. श्री सैयद अब्दुल ज़ाजाना--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, दिनांक 1 अप्रैल, 2010 में लागू है, जिसके आलोक में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना ऐसे सभी वसावत क्षेत्रों में जहाँ 6-14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कम से कम 40 हो उसके 1 कि० मी० सीमा के अन्तर्गत किया जाना है;
- (2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सुरसंड प्रखंड के कोरियाही पंचायत के ग्राम-बिन्धी महादलित टोला के 1 कि० मी० के दायरे में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिससे महादलित समुदाय के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिन्धी महादलित टोला में प्राथमिक विद्यालय कबतक स्थापित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चिल्ड्रेन पार्क बनाना

*105. श्री अचमित ऋषिदेव--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज में 289 एकड़ जमीन पर वृक्ष वाटिका का निर्माण वर्ष 2008-09 में किया गया है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त वृक्ष वाटिका में "चिल्ड्रेन पार्क" का निर्माण नहीं होने के कारण आनेवाले पर्यटकों के छोटे-छोटे बच्चे-बच्चियों को मनोरंजन हेतु कोई साधन उपलब्ध नहीं है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अन्य पार्कों की भाँति वृक्ष वाटिका में चिल्ड्रेन पार्क बनाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*105. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ वित्तीय वर्ष 2016-17 से कार्य करना शुरू कर दिया है, लेकिन जमीन का अधिग्रहण नहीं होने के कारण उक्त विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो सरकार पूर्णियाँ विश्वविद्यालय कार्यालय हेतु जमीन का अधिग्रहण कर भवन का निर्माण कब तक शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मिट्टी भरवाना

*107. श्री प्रभुनाथ साह--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के अगिआवाँ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नारायणपुर पंचायत के नारायणपुर में क्रीड़ा मैदान अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्रीड़ा मैदान रोड से नीचा रहने के कारण बरसात के समय में पानी भर जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्णित क्रीड़ा मैदान में जल-जमाव से निजात दिलाने हेतु उसमें मिट्टी भरवाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का जीर्णोद्धार

*108. श्रीमती अमिता भूषण--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिला के वनद्वार पंचायत अवस्थित एक मात्र विद्यालय वनद्वार जर्जर अवस्था में है;

(2) क्या यह बात सही है कि 700 बच्चे नामांकित होने के बावजूद भी इस विद्यालय में न तो कोई सुरक्षित कमरा, न ही विद्यालय में चहारदीवारी और न ही पेय जल एवं शौचालय की व्यवस्था है, जिससे छात्रों को कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय के जीर्णोद्धार कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पुस्तकालय की स्थापना

*109. डॉ० शकील अहमद खान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2008 में पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया था, उक्त अधिनियम के अनुसार जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत में पुस्तकालय खोलना था, लेकिन आज तक उक्त अधिनियम लागू होने के बाद भी राज्य के सभी जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय की स्थापना नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के सभी जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय की स्थापना कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*110. श्री सत्यदेव राम—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सोबान जिलान्तर्गत गुठनी प्रखण्ड का सबसे पहला उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बगरा उच्च विद्यालय है, जिसमें मात्र तीन ही शिक्षक पदस्थापित हैं, जिसके कारण छात्र/छात्राओं का पठन-पाठन प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार छात्र-छात्राओं के अनुपात में उक्त उच्च विद्यालय में कबतक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच करना

*111. श्री अनिल सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के आदेश सं० 200/2017, दिनांक 8 मई, 2017 द्वारा शोधकार्य को गुणवत्तापूर्ण एवं विकासात्मक बनाने हेतु 12 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया गया जिसमें डॉ० जी० एस० झा, इंडो पैसेफिक विभाग, जे० एन० यू० एवं डॉ० सुषमा यादव, IIPA, नई दिल्ली-सह-सदस्य यू० जी० सी० को सदस्य मनोनीत किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि सदस्य मनोनयन हेतु संबंधित संस्था से एन० ओ० सी० की बाध्यता रहने के बावजूद दोनों मनोनीत सदस्यों के लिये जे० एन० यू० तथा IIPA, यू० जी० सी० से एन० ओ० सी० प्राप्त नहीं किया गया ;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 2017 को कुलपति, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को उपर्युक्त अनियमित मनोनयन सहित अन्य अनियमितताओं की जाँच हेतु अनुरोध के बावजूद आज तक कार्रवाई शून्य है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्नकर्ता द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उत्क्रमित करना

*112. श्री तार किशोर प्रसाद—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कटिहार प्रखण्ड के दलन पूरब पंचायत में मध्य विद्यालय, सिरसा एवं कालसर पंचायत में मध्य विद्यालय, थेगुआ पात्रता रखने के बावजूद उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित नहीं हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मध्य विद्यालयों को कबतक उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय की स्थापना

*113. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत बार के ग्राम-कुबड़ी में प्राथमिक विद्यालय नहीं होने के कारण कुबड़ी एवं अंसारगंज के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिये 2 कि० मी० की दूरी तय करनी पड़ती है यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*114. श्री संजय कुमार सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत विक्रमगंज प्रखण्ड में नोनहर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय, आमा पोखर का वित्तीय वर्ष 2012-13 में सरकारीकरण हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का अपना भवन नहीं रहने के कारण आँगनबाड़ी आमा पोखर में विद्यालय संचालित है, जिसके कारण छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*115. श्री चन्द्रसेन प्रसाद—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत इस्लामपुर प्रखण्ड के राजकीयकृत उच्च विद्यालय, लारणपुर एवं माता कस्तुरबा बालिका उच्च विद्यालय, कोरवा में चहारदीवारी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों का प्रवेश, वर्गकक्ष की कमी एवं लाइब्रेरी नहीं होने से छात्र-छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार वर्णित विद्यालयों में कबतक अतिरिक्त वर्गकक्ष, लाइब्रेरी एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस स्टैंड निर्माण करना

*116. डॉ० शमीम अहमद—क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला के छौड़ादानों प्रखण्ड में बस स्टैंड का निर्माण नहीं होने से आम जनता को आवागमन में कठिनाई होती है, जबकि उक्त प्रखण्ड में बस स्टैंड निर्माण हेतु सरकारी जमीन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थान पर कबतक बस स्टैंड निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*117. श्री विनोद प्रसाद यादव—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत नगर पंचायत शेरघाटी में लिपगंज चट्टी स्थित मदरसा महमूदिया का चहारदीवारी नहीं रहने के कारण मदरसा के जमीन का अतिक्रमण हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मदरसा का चहारदीवारी निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जाँच करना

*118. श्री सुबाष सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर पठन-पाठन, शोध के विषय, शोधार्थियों की सूची, विद्यार्थियों से संबंधित विषय तथा यू०जी०सी०/राज्य सरकार से प्राप्त ग्रांट जैसे विषयों से संबंधित सूचना तो दूर सूचना से संबंधित कॉलम तक उपलब्ध नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार इस तरह से सार्वजनिक सूचनाओं को गोपनीय रखे जाने के पीछे विश्वविद्यालय की मंशा की जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

दोधियों पर कार्रवाई

*119. डॉ० जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिला के सरमेरा प्रखण्ड में ग्राम-मानाचक में प्राथमिक विद्यालय के भवन का निर्माण विगत दो वर्ष पूर्व हुआ था, परन्तु उक्त भवन जर्जर स्थिति में है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराकर संबंधित दोधियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा का निर्माण

*120. श्री अवधेश सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर प्रखण्ड के ईश्वरी उच्च विद्यालय, टपका एवं उच्च विद्यालय, मुस्तफापुर में क्रमशः 700 एवं 900 छात्र/छात्राएँ 4-4 कमरों में पठन-पाठन कर रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में कमरों की कमी होने के कारण पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की संख्या के अनुरूप पठन-पाठन हेतु अतिरिक्त कमरों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*121. श्री अमित कुमार—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनियाँ प्रखण्ड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सूढ़ा टोला, मध्य विद्यालय, भटौलिया की चहारदीवारी नहीं रहने के कारण असामाजिक तत्वों एवं पशुओं की आवाजाही के कारण छात्र/छात्राओं का पठन-पाठन प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय का चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

*122. श्री संजय कुमार तिवारी--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में खरवार जाति के लोगों को राजस्व अभिलेख में पेशागत नाम "कमकर" दर्ज होने के कारण खरवार जाति का जाति प्रमाण-पत्र नहीं निर्गत हो रहा है, जिससे आरक्षण की मूलभूत सुविधा से यह जाति वंचित रह रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार खरवार जाति के नाम से कबतक जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम निर्माण करना

*123. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखण्ड के तरियानी पंचायत स्थित श्री रामजानकी सूर्यदेव उच्च विद्यालय के पास 15 एकड़ जमीन उपलब्ध है;
- (2) क्या यह बात सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्या द्वारा उक्त स्थान पर स्टेडियम निर्माण हेतु समाहर्ता शिवहर को दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 को पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी तक स्टेडियम निर्माण की कार्यवाई संबंधी सूचना अप्राप्त है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त स्थान पर स्टेडियम निर्माण कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्यवाई करना

*124. श्री राम बालक सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन लेखा प्रभारी (1993 से जनवरी, 2009) 16 वर्षों तक प्रभार में रहने के दरम्यान वर्ष 2002-2003 में उक्त लेखा प्रभारी द्वारा कैश बुक गायब कर बोर्ड में अनियमितता किया गया;
- (2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 8 जनवरी, 2004 में बुद्धा कॉलोनी, पटना स्थित पी०एन०बी० शाखा में दो बेनामी खाता खोलकर 1,17,92,257 (एक करोड़ सत्रह लाख बेलनके हजार दो सौ सन्तावन) रुपया जमा किया गया, दिनांक 5 जनवरी, 2015 को बोर्ड के बैठक में पूर्व लेखा प्रभारी वर्तमान विधि प्रभारी के ऊपर एफ०आई०आर० करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन पदाधिकारियों की मिलीभगत से कार्यवाई नहीं की गई;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार इसको जाँच करके दोषी पदाधिकारी पर कबतक कार्यवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

रजिस्ट्रार की प्रतिनियुक्ति

*125. श्री अशोक कुमार सिंह--क्या मंत्री, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला के मोहनियाँ अनुमण्डल में रिक्त रजिस्ट्रार का पद का प्रभार रजिस्ट्रार, भभुआ को दिये जाने के कारण जमीन की रजिस्ट्री करने में आम जनता को कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार मोहनियाँ अनुमण्डल में कबतक स्थायी रजिस्ट्रार की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वेतन भुगतान करना

*126. श्री शिवचन्द्र राम—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला अंतर्गत प्रखंड सहदेई बुजुर्ग, राजापाकड़ एवं अन्य प्रखण्डों में 5 माह से बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण शिक्षकों के परिवार भूखमरी के कगार पर हैं, जबकि वेतन मद में आवंटन उपलब्ध है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्य दिवस बढ़ाना

*127. श्री मनोज कुमार—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि सर्व-शिक्षा अभियान के तहत विद्यालय शिक्षा समिति को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से प्रत्येक संकुल पर वर्ष 2005 से एक उत्प्रेरक की नियुक्ति की गई है;
- (2) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक उत्प्रेरक से सप्ताह में एक दिन ही प्रशिक्षण का कार्य लिया जाता है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उत्प्रेरक का कार्य दिवस बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्गकक्ष एवं चहारदीवारी का निर्माण

*128. श्रीमती सुनीता सिंह चौहान—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि शिवहर जिलान्तर्गत तरियानी प्रखंड के श्री रामजानकी सूर्यदेव उच्च विद्यालय, छपरा में 1,000 छात्र/छात्राएँ 5 कमरे में पठन-पाठन करते हैं, जो कि छात्र के अनुपात में वर्गकक्ष कम है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय का वर्गकक्ष जर्जर एवं चहारदीवारी नहीं है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालय में कमरे का जीर्णोद्धार करते हुये छात्र के अनुपात में वर्गकक्ष का निर्माण अतिरिक्त एवं चहारदीवारी का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

केन्द्र चालू करना

*129. श्री विजय कुमार खेमका—क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत पूर्णियाँ पूर्व प्रखण्ड के बीरपुर पंचायत में वार्ड संख्या 9 सहित सभी 14 पंचायतों में वर्ष 2012 में मॉडल आँगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण प्रारम्भ हुआ, जो अबतक अधूरा है;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड के सभी अर्द्ध-निर्मित आँगनवाड़ी केन्द्रों पर अतिक्रमणकारियों का अवैध कब्जा है जिससे यहाँ के बच्चों को खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करना पड़ता है;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त आँगनवाड़ी केन्द्रों को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं निर्माण कार्य पूर्ण कर शीघ्र केन्द्रों को कबतक चालू कराने का विचार रखती है ?

भवन का निर्माण

*130. श्री दिनकर राम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिलान्तर्गत मरौना प्रखण्ड के परिकोच पंचायत में स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय, बसखोड़ा वर्ष 2013 से जर्जर है, जिसके कारण बच्चों का पठन-पाठन खुले आसमान में पेड़ के नीचे हो रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि स्कूल भवन के निर्माण हेतु 5 कट्ठा जमीन भी स्थानीय व्यक्ति द्वारा दी गयी है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उपलब्ध भूमि पर कबतक उक्त उत्कर्मित मध्य विद्यालय, बसखोड़ा के भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

परीक्षा का परिणाम देना

*131. श्री आबिदुर रहमान--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखण्ड के मोईजउद्दीन, पिता-मोन्नीनुल, बिहार स्टेट मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा वर्ष 2017 के मौलवी (XII) के सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हुआ था, जिसका रजिस्ट्रेशन नं० ARR-0197/17, रोल कोड ARR, रोल नं० 1949, परीक्षा केन्द्र आदर्श मध्य विद्यालय, अररिया आर० एस० था;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त परीक्षार्थी सहित अन्य परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम में Mantiq Falsafa विषय में अनुपस्थित दर्शाकर फेल कर दिया गया;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त परीक्षार्थी सहित अन्य परीक्षार्थी के अनुपस्थित विषय का अंक को जोड़कर परीक्षा परिणाम देने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

*132. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत फुलपरास विधान सभा क्षेत्र के फुलपरास एवं घोधरडीहा प्रखण्ड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर स्थायी प्रतिनियुक्ति नहीं होने से उक्त प्रखण्डों का कार्य सुचारु ढंग से निष्पादन नहीं हो रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त प्रखण्ड में कबतक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर स्थायी प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति

*133. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखण्ड अंतर्गत डगरशाम स्थित +2 स्तरीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक भी विषय के शिक्षक नहीं हैं, जिससे पठन-पाठन नहीं होने के कारण छात्र/छात्राओं को काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार +2 माध्यमिक विद्यालय में कबतक शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

वर्ग-कक्ष का निर्माण

*134. श्री जिवेश कुमार--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिला के जाले प्रखण्ड के कमतौल स्थित जे०एम० उच्च विद्यालय, कमतौल का वर्ग-कक्ष जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त वर्णित उच्च विद्यालय में पठन-पाठन सुचारु रूप से चलाने के लिये छः वर्ग-कक्ष का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

मरम्मत करना

*135. श्री नारायण प्रसाद--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिला समेत प्रदेश में मैट्रिक के परीक्षा के समय परीक्षा केन्द्रों पर बगल के विद्यालयों से बेंच-डेस्क की आपूर्ति करायी जाती है, जिसे ले जाने एवं वापस ले जाने के क्रम में 30 प्रतिशत बेंच क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसकी मरम्मत के लिये कोई प्रावधान नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत कमल साह उच्च विद्यालय, नौतन में वर्ष 2016-17, 2018 में परीक्षा के दौरान 200 से ज्यादा बेंच-डेस्क क्षतिग्रस्त हो गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खण्ड (2) में वर्णित सहित परीक्षा के दौरान क्षतिग्रस्त हुये बेंच-डेस्क की मरम्मत कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना

*136. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत एन० एच० 2सी डेहरी-यदुनाथपुर पथ का निर्माण अकबरपुर तक 40 कि०मी० का कार्य वर्ष 2015-16 में शुरू हुआ था, शेष 60 कि०मी० सड़क पर्यावरण एवं वन विभाग के आपत्ति के कारण रोक दी गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त ऊपरी सड़क के निर्माण नहीं होने के कारण बौलिया, जारादाग सहित 50 गाँवों का आवागमन बाधित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त शेष बचे सड़क निर्माण के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

*137. श्री जयवर्धन यादव--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिलान्तर्गत दुर्लिनबाजार प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत सिंघाड़ा कोषा के ग्राम-सरफुद्दीनपुर (सरबदीपुर) स्थित उत्कर्मित मध्य विद्यालय की उत्तर दिशा की चहारदीवारी दो वर्ष पूर्व गिर गया था, यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त विद्यालय के चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

लाभार्थियों को लाभ दिलाना

*138. डॉ० अब्दुल गफूर—क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि बाल विवाह रोकने हेतु वर्ष 2003-04 में बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सत्तर कटेया प्रखण्ड में लगभग 400 बालिकाओं का खाता वर्ष 2003-04 में इस योजना के तहत खोला गया था;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बालिका समृद्धि योजना के लाभार्थियों को कबतक लाभ दिलाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*139. श्री शिवचन्द्र राम—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के राजापाकड़ विधान सभा क्षेत्र के सहदेई बुजुर्ग देसरी प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी बालिका छात्रावास के छात्राओं को मेनु के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा है एवं छात्रावास का रख-रखाव सुचारु रूप से नहीं की जा रही है, यदि हाँ, तो इसकी जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कबतक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्राथमिक विद्यालय खोलना

*140. श्री बशिष्ठ सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून के अन्तर्गत 1 कि०मी० की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(2) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत करगहर प्रखण्ड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, नादो बसंतपुर, बसंतपुर गाँव में अवस्थित है, ग्राम-नादो, बसंतपुर गाँव से 3 कि०मी० की दूरी पर है;

(3) क्या यह बात सही है कि नादो गाँव की जनसंख्या 1,000 है एवं विद्यालय योग्य सरकारी भूमि 2 एकड़ 59 डीसमील है जिसका खाता सं० 82 एवं खेसरा सं० 1 है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ग्राम नादो में कबतक प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

हस्तान्तरित करना

*141. श्री मिथिलेश तिवारी—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखण्ड के अन्तर्गत शाहपुर उच्च विद्यालय का भवन विगत 10 वर्षों से निर्माणाधीन है तथा शेर उच्च विद्यालय के प्रांगण में मॉडल स्कूल का भवन पूर्ण होने के बावजूद उसमें कक्षा का संचालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार शाहपुर उच्च विद्यालय के भवन के निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूर्ण कराने तथा शेर उच्च विद्यालय में निर्मित मॉडल स्कूल को शेर उच्च विद्यालय को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अवैधानिक कार्य पर रोक लगाना

* 142. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ के प्रतिकुलपति द्वारा और कुलसचिव, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ को दरकिनार करते हुये बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में कोई प्रावधान न रहते हुये विशेष कार्य पदाधिकारी के पद पर डॉ० जयप्रकाश नारायण विकर्तन की नियुक्ति कर अबतक 1200 से अधिक अधिसूचना निर्गत करा चुके हैं, यदि हाँ, तो सरकार कुलपति, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ के अवैधानिक कार्य पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

* 143. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के मेहरी प्रखण्ड में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, कटह्रा एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, मोजहिदा में नामांकित छात्रों की संख्या क्रमशः 1,000-1,000 है, उक्त अनुपात में कमरों का अभाव है, जिसके कारण छात्रों के पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित दोनों विद्यालयों में चहारदीवारी नहीं रहने के कारण छात्रों के पठन-पाठन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दोनों वर्णित विद्यालयों में कबतक अतिरिक्त वर्गकक्ष एवं चहारदीवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भूमि माप-दंड कम करना

* 144. श्री चन्द्रशेखर—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु पंचायतवार माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि माध्यमिक विद्यालय के लिये माप-दण्ड का आधार 75 डीसमील भूमि प्रति पंचायत रखा गया है ;

(3) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत पैलाढ़ प्रखण्ड के झींटकिया पंचायत एवं मधेपुरा प्रखण्ड के साहुगढ़ पंचायत नं० 1 एवं 2 सहित अन्य जिलों के कई पंचायत में मध्य विद्यालय को 75 डीसमील भूमि उपलब्ध नहीं है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि माप-दंड को कम करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चहारदीवारी का निर्माण

* 145. सुश्री पुनम पासवान—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के कोढ़ा प्रखण्ड अंतर्गत गोरबारी बाजार स्थित +2 उच्च विद्यालय, कोढ़ा का चहारदीवारी नहीं होने के कारण जमीन का अतिक्रमण किया जा रहा है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त विद्यालय के जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर कबतक चहारदीवारी निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

* 146. डॉ० जितेन्द्र कुमार--क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ प्रखण्ड के ग्राम-तयूरी के पास गोइठवा नदी से विगत 5 वर्ष से बालू का अवैध खनन हो रहा है, जबकि इसकी सूचना प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा जिला प्रशासन को 6 माह पूर्व दी गयी है, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक इसकी उच्चस्तरीय जाँच कराते हुये कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

* 147. श्री विद्या सागर केशरी--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज से नेपाल के जनकपुर एवं काठमांडू तक धार्मिक आस्था के कारण आम जनता का आवागमन होता है, परन्तु बस सेवा उपलब्ध नहीं रहने के कारण आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुये फारबिसगंज से नेपाल के जनकपुर एवं काठमांडू तक कबतक बस सेवा परिचालन करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस का परिचालन

* 148. श्रीमती गायत्री देवी--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से लालबन्दी भाया परवाह की दूरी 38 कि० मी० एवं सीतामढ़ी से भीसवा, भगवतीपुर भाया परिहार की दूरी 37 कि० मी० है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों पथ में सरकारी बस सेवा संचालित नहीं है, जिससे यात्रियों के आवागमन में कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त दोनों मार्ग पर सरकारी बस कबतक चलाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पढ़ाई प्रारंभ करना

* 149. श्री सिद्धार्थ--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिला के अंधराठादी प्रखण्ड के रूद्रपुर में स्थित 10+2 विद्यालय, रूद्रपुर का भवन निर्माण कार्य वर्ष 2014 से चल रहा है, जो अभीतक अधूरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त भवन पूर्णरूपेण निर्मित नहीं होने के कारण 10+2 कक्षा की पढ़ाई उक्त विद्यालय में अभीतक प्रारंभ नहीं हुयी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त 10+2 विद्यालय, रूद्रपुर के अधूरा भवन को पूर्ण कराने के साथ-साथ 10+2 की पढ़ाई कबतक प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कमरा का निर्माण

*150. श्री अवधेश सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत उजियापुर प्रखंड के बनधारा उच्च विद्यालय, घटहो में 800 छात्र/छात्राएँ 2 कमरों में तथा रामाज्ञा उच्च विद्यालय, चैता में 700 छात्र/छात्राएँ 3 तीन कमरों में पठन-पाठन करते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालयों में कमरा के अभाव में पठन-पाठन में काफी कठिनाई हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त विद्यालयों में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रदूषण नियंत्रण करना

*151. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि डब्लू० एच० ओ० 2016 में 2.5 पी० एम० (वायु प्रदूषण) के आधार पर कराये गये प्रदूषित शहरों के क्रम में दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के तीन शहर यथा चौथे स्थान पर गया, पाँचवें पर पटना और नवें स्थान पर मुजफ्फरपुर है, यदि हाँ, तो प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकार कौन-सी कारगर कदम उठाने का विचार रखती है और कबतक ?

नाम बदलने हेतु

*152. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नबीनगर प्रखंड के तेतरहड़ ग्राम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तिवारीडीह अवस्थित है, यदि हाँ, तो सरकार तेतरहड़ ग्राम में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, तिवारीडीह का नाम तेतरहड़ कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बस सेवा चालू करना

*153. श्री सीताराम यादव--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत हरलाखी एवं बासोपट्टी से होकर राजधानी पटना तक परिवहन विभाग की बस नहीं चलने के कारण आम जनता को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हाँ, तो सरकार हरलाखी एवं बासोपट्टी से होकर पटना तक सरकारी बस सेवा चालू करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*154. श्री रामानुज प्रसाद--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सारण जिला के सोनपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत दिघवारा बाजार स्थित जयगोविन्द उच्च विद्यालय के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण हेतु राज्य सरकार ने वर्ष 2016 में स्वीकृति प्रदान कर प्रथम किस्त की राशि लगभग 33 लाख (तीस लाख) रुपये विभागीय ज्ञाप सं० 585, दिनांक 2 फरवरी, 2017 द्वारा जिला प्रशासन को सुपुर्द कर दिया है, परन्तु विभागीय एवं जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण आजतक कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, जिससे उक्त विद्यालय के विद्यार्थियों सहित स्थानीय क्रीड़ा प्रेमियों को क्रीड़ादि में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई एवं स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अल्पावास गृह चालू करना

*155. श्री अरूण कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना, कैमूर और मुंगेर सहित राज्य के अधिकांश जिले में स्थापित महिला अल्पावास गृह बन्द हो चुके हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन अल्पावास गृहों में रोजगार से जोड़ने के लिये महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना था ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक बन्द अल्पावास गृह को चालू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

विद्यालय का निर्माण

*156. श्रीमती गुलजार देवी--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत मधेपुरा प्रखंड स्थित उत्कर्मित उच्च विद्यालय, बसीपट्टी एवं बकुआ का सात वर्षों से विद्यालय भवन का निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण शिक्षण कार्य पूर्णतः बंद है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक वर्णित विद्यालय का निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नया संवेदक बहाल करना

*157. श्री (मो०) नवाज आलम--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी० डब्ल्यू० जे० सी० नं० 6822/16 के आदेश के आलोक में भोजपुर जिला के सभी प्रखंडों के लिये मध्याह्न योजना के खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु संवेदक के लिये निविदा प्रकाशित हुआ था, जिसमें 58 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा दिनांक 18 अगस्त, 2017 को निविदा खोला गया था, परन्तु अभी तक संवेदक का चयन नहीं किया गया है, जबकि पूर्व संवेदक द्वारा ही मध्याह्न योजना संबंधी कार्य संचालित किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध है, यदि हाँ, तो सरकार दोषियों पर कार्रवाई करते हुये नये संवेदक को कबतक बहाल करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

स्टेडियम का निर्माण

*158. डॉ० राजेश कुमार--क्या मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कल्याणपुर प्रखंड में स्टेडियम नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार कल्याणपुर प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना

*159. श्री ललन पासवान--क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड रोहतास के भुआ, मरुहो, सतगलिया सड़क ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सन् 2016-17 में स्वीकृत की गयी थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ को पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा रोक लगा दी गयी है जिसके कारण सड़क निर्माण नहीं होने से आम जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त पथ का अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

आवासीय विद्यालय खोलना

*160. श्री सैयद अबु रौजाना--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखंडों में अनुसूचित जाति जन-जाति आवासीय विद्यालय खोलना का निर्णय 10 वर्ष पूर्व में ही लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी प्रखंड सुरसंड प्रखंड एवं चोरीत प्रखंड में आज तक अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय का निर्माण नहीं हो सका है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्णित प्रखंडों में उक्त आवासीय विद्यालय कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*161. श्री रत्नेश साहा--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा प्रखंड के ग्राम पंचायत सोनवर्षा के महादलित टोला सिसवा, वार्ड नं० 12 में वर्ष 2006 से नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का संचालन शुरू हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय को अपना भवन नहीं रहने के कारण वहाँ के छात्रों को 4 कि० मी० दूर पठन-पाठन हेतु सोनवर्षा जाना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक उक्त नवसृजित प्राथमिक विद्यालय का अपना भवन निर्माण करकर पठन-पाठन शुरू कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

समायोजन करना

*162. श्री सुभाष सिंह--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का वर्ष 2015 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में सरकार द्वारा पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का समायोजन किया गया, परन्तु जन शिक्षा पदाधिकारी (साक्षरता), गोपालगंज द्वारा वांछित कागजात जन शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजे जाने के कारण गोपालगंज जिला के श्री शिवनाथ राम, श्री नेसार अहमद, श्रीमती विभा कुमारी सहित कुल 25 पूर्व अनौपचारिक अनुदेशक/अनुदेशिका सामंजस्य नहीं किये जा सके, यदि हाँ, तो सरकार कबतक समायोजन से वांछित उक्त पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों/अनुदेशिकाओं का समायोजन कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बताना

*163. श्री समीर कुमार महासेठ--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि तिलकामांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय में पी०एच०डी० कराये जाने में वरती जा रही अनियमितता की ओर प्रियम्बदा कुमारी, पी०एच०डी० अभ्यर्थी द्वारा शिकायत किये जाने के उपरान्त राज्यपाल सचिवालय के विशेष कार्य पदाधिकारी (वि० वि०), के पत्रांक 3057, दिनांक 27 नवम्बर, 2017 द्वारा कुलपति, तिलकामांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय को विस्तृत जाँच करने का निदेश दिया गया, परन्तु आजतक कुलपति द्वारा कोई जाँच नहीं की गयी है, यदि हाँ, तो उसका क्या औचित्य है ?

भवन का उपयोग

*164. डॉ० अशोक कुमार--क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत यू० आर० कॉलेज, रोसड़ा में पिछड़ा वर्ग छात्रावास वर्ष 2004 में एक करोड़ साढ़े चौदह लाख की लागत से बनकर तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त छात्रावास का उपयोग में नहीं होने के कारण छात्रावास का भवन जीर्ण-शीर्ण होते जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त छात्रावास का भवन का उपयोग करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अंकेक्षण का कार्य कराना

*165. श्री रामदेव राय--क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार के मा० विद्यालय एवं उच्चतर मा० विद्यालयों के साथ-साथ महाविद्यालयों में अद्यतन अंकेक्षण कार्य नहीं होने के कारण विद्यालयों में गठित प्रबंध समिति के सामने वित्तीय लेखा-जोखा में एवं वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों के निवारण में कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के सभी विद्यालयों उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं महाविद्यालयों में अंकेक्षण कार्य कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 24 जुलाई, 2018 (ई०)

राजीव कुमार,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा ।